बालिग लड़कियां बोलीं... हमें एक-दूसरे से प्यार है

दस दिन पहले घर से भागकर चली गई थीं दिल्ली, परिजन हतप्रभ

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

परदेशीपुरा थाने में दो बालिग लड़कियां पहुंचीं। उन्होंने कहा कि हमें आपस में प्यार है और जीवनभर साथ रहना चाहती हैं। लड़कियां 10 दिन पहले घर से बिना बताए भाग गई थीं। इस लेस्बियन जोड़े के बयान सुनकर पुलिस और परिजन भी हतप्रभ रह गए। अंततः दोनों को पुलिस ने साथ रहने की अनुमति देकर रवाना कर दिया। परदेशीपुरा पुलिस ने बताया कि कुलकर्णी भट्ठा में दो लड़कियां

रहती थीं। दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर चुकी हैं। बातचीत के दौरान दोनों में प्यार हो गया।

दिल्ली चली गई थीं : इसके चलते वे घर से भागकर दिल्ली शादी में चली गईं। शादी समारोह से निबटने के बाद एक लड़की ने अपने परिजन को फोन लगाकर दिल्ली में होने का बताया। इस पर परिजन ने कहा कि तुम्हें बोलकर जाना था। बगैर बताए चली गईं तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराना पड़ी। इसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढ़कर लाती... उसके पहले ही वे थाने पहुंच गईं और अपने बयान दर्ज कराए।

सामान्य दोस्ती मान रहे थे परिजन

दोनों लड़कियों में बचपन से दोस्ती है। उनके माता-पिता सामान्य दोस्ती मान रहे थे। कई बार दोनों एक-दूसरे के घर पर घंटों रुके रहती थीं। कई बार तो रात में भी वहीं सो जाती थीं। रोजाना मिलते रहने से लड़कियों के बीच अलग रिश्ते जन्म ले चुके थे। इसी वजह से दोनों पिछले दिनों एक साथ घर से लापता हो गई थीं। परिजन अपनी-अपनी लड़कियों को साथ ले जाना चाहते थे और लड़कियां साथ जाना नहीं चाहती थीं। दो घंटे तक दोनों लड़कियां और उसके परिजन को पुलिस समझाती रही। बाद में निर्णय लिया कि दोनों को साथ रहने दिया जाए।

झांसा देकर महिला से किया खोटा काम

इंदौर। शादी का झांसा देकर युवक ने खोटा काम किया। जब पीड़िता को बेटा हुआ तो युवक शादी से मुकर गया। बाणगंगा पुलिस को गांधीनगर की युवती ने बताया कि उसके पति का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। इसके बाद मायके आकर रहने लगी, जहां उसकी मुलाकात संजयसिंह चौहान जोधपुर से हुई। उसने झूठ बोलकर कई बार संबंध बनाए। पीड़िता ने बेटा होने पर शादी का कहा तो वह मारपीट करने लगा...फिर घर छोड़कर भाग निकला।

रंगेहाथ पकड़ाया चोर

इन्दौर। बर्फानी धाम कॉलोनी स्थित घर में चोरी करने घुसे युवक को आसपास के रहवासियों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। एमआईजी पुलिस को फरियादी अक्षय पिता भागीरथ तनवय ने बताया कि सोना कुमावत निवासी विद्या विजय कॉलोनी ने घर में अंदर घुसकर अलमारी में रखा सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और 10 हजार रुपए चुरा लिए थे।

पुलिस ने चलाया कार्डन एंड कर्व अभियान, कई पकड़ाए

रिजर्व बल के साथ एमआईजी थाना क्षेत्र में चलाई गई चेकिंग मुहिम

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

अपराधों पर नियंत्रण करने पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एमआईजी थाना क्षेत्र में कार्डन एवं कर्व ऑपरेशन चलाया गया। अभियान जोन-2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में चलाया गया।

इसमें रिजर्व बल के साथ थाने की टीम श्रीनगर कांकड़ एवं अनूप नगर पहुंची। यहां के मार्गों पर फिक्स प्वॉइंट लगाकर रास्तों पर चेकिंग लगाई गई। पेट्रोलिंग पार्टी के साथ दुकानों, अंडा, मटन की दुकान तथा अन्य ऐसी जगह, जहां लड़के एकत्रित होते हैं, उन स्थानों पर सघन चेकिंग की गई। इस

दौरान एक दर्जन से अधिक संदिग्धों को पकड़ा। अभियान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी एमआईजी मनीष लोढ़ा, पुलिस लाइन की निरीक्षक मनोज मेहरा शामिल रहे।

किड्स ट्रेन पलटने से नखराली ढाणी में हादसा, तीन बच्चे घायल

सामने आई लापरवाही... चालक शराब के नशे में चला रहा था ट्रेन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

खंडवा रोड स्थित नखराली ढाणी में गुरुवार शाम किड्स ट्रेन के पलट जाने से तीन बच्चे घायल हो गए हैं। चालक शराब के नशे में ट्रेन चला रहा था, इसलिए हादसा हुआ। राऊ थाने में फरियादी गुंजन पिता पवन वाधवानी निवासी राजेंद्रनगर ने आरोपी प्रवीण कुमार पाठक निवासी नखराली ढाणी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी बहन पहल, वर्षा, राधिका, सौम्या सहित बच्चे विवांश व पर्ल के साथ घूमने गई थी। वे सीमेंट की बैंच पर बैठी थी, वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे।

इसी दौरान बैटरी वाली ट्रेन गुजरी। चालक ने ट्रेन को लापरवाहीपूर्वक चालू हालत में छोड़ दिया, जिससे ट्रेन अचानक आगे बढ़ गई। ट्रेन आगे बढ़ने से पहल पाहुजा, विवांश और पर्ल पाहूजा चपेट में गए। टक्कर लगने से तीनों बच्चों को गंभीर चोट आई है। जब घायल बच्चों के परिजन ने चालक से बात की तो वह विवाद करने लग गया। आरोप है चालक नशे में धुत्त था। उसने ट्रेन में टूट-फूट का हर्जाना पीड़ित परिवार से लेने की कोशिश की। इसके बाद वहां उसे अन्य कर्मचारियों ने समझाया तो वह धमकाते हुए रवाना हो गया ।

जोन-2 में शुरू शिकायत निवारण अभियान

इंदौर। थाने में आने वाले कई आवेदकों की सुनवाई नहीं होती। उन्हें तरह-तरह के नियम-कानून बताकर थाने से रवाना कर दिया जाता है, जिससे पीड़ित पक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय पहुंचते हैं। जोन-2 में आने वाले थाना क्षेत्रों में शिकायत निवारण अभियान शुरू किया जा रहा है। पांच दिन में तय समय पर शिकायत सुनकर उनका नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। जोन-2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि अभियान शुरू करने का मूल उद्देश्य शिकायतकर्ता को इधर-उधर भटकने से रोका जाना है।

महिला की पिटाई के बाद राऊ थाने का घेराव

कार्रवाई : शिकायत के बाद मल्टी मालिक पर दर्ज किया प्रकरण

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

मेंटेनेंस को लेकर बिल्डिंग मालिक और रहवासियों में विवाद हो गया। विवाद के चलते महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके विरोध में शनिवार को आक्रोशित लोगों ने राऊ थाने का घेराव किया। दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद रहवासी वहां से रवाना हुए।

जानकारी के मुताबिक... राऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजलक्ष्मी एवेन्यू अपार्टमेंट के रहवासियों के अनुसार- मल्टी में सबसे ऊपर की छत पर गार्डन बनाया गया है, जहां लगातार कई लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इस पर फ्लैट में रहने वाले यादव परिवार के सदस्यों ने आपत्ति ली तो मल्टी मालिक पूनम कैथवास और उसके बेटे पूर्वांश ने विवाद किया। इसके बाद दोनों बाप-बेटे ने यादव परिवार के घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। मारपीट के दौरान महिलाओं को बचाने परिवार के अन्य सदस्य आए तो उनके साथ भी मल्टी मालिक ने अभद्रता की। दोनों पक्ष के लोग थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने की बजाय दोनों को समझाइश देकर रवाना करने की कोशिश की तो दोनों पक्ष के लोगों की रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट में पुलिस ने सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया। सामान्य धारा में प्रकरण दर्ज होने पर राजलक्ष्मी एवेन्यू अपार्टमेंट के रहवासियों में नाराजगी बनी रही। पीड़ित परिवारजन का आरोप है कि इस दौरान छोटे बच्चों को भी थप्पड़ मारे। आरोप है थाने में मल्टी मालिक को पुलिस ने कुर्सी पर बैठाया था।

निगम बिल घोटाला-ज्वॉइंट डायरेक्टर सहित तीन पकड़ाए

इंदौर। निगम बिल घोटाले में लगातार आरोपियों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। एमजी रोड पुलिस ने पूर्व में लेखा विभाग में पदस्थ रहे राजकुमार सालवी से पूछताछ के बाद ऑडिट विभाग में दबिश दी। यहां से पुलिस ने ज्वॉइंट डायरेक्टर अनिल गर्ग, डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम परमार, समरसिंह परमार को गिरफ्तार किया। तीनों को रिमांड पर लिया है। टीआई विजयसिंह सिसोदिया ने बताया तीनों अधिकारियों के पास जब फाइलें पहुंचती थीं, तब ये बगैर जांचे उन्हें आगे बढ़ा देते थे।

मामूली विवाद में दो स्थानों पर चाकू चले, हालत गंभीर

इंदौर। शहर में शुक्रवार को मामूली विवाद में दो स्थानों पर चाकू चले। खजराना और सदर बाजार में वारदातें हुईं। फरियादी नूर आलम और उसके पिता मोहम्मद हारुन ने बताया कि आरोपियों का कुछ दिनों से नूर के पिता हारून से झगड़ा चल रहा है। नूर ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी नाजिम, अजहर और बल्लू पर केस दर्ज कर लिया है।

इसी प्रकार सदर बाजार थाना क्षेत्र में भी झगड़ा हुआ है।

डीआरआई ने एयरपोर्ट रोड पर पकड़ा करोड़ों का चांदी-सोना

शक के आधार पर गाड़ी रोक की गई जांच, विदेशी नागरिक की कार में रखे थे आभूषण

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

गोपनीय सूचना पर डीआरआई की टीम ने एयरपोर्ट रोड पर विदेशी नागरिक की कार को रोका। कार से करोड़ों का सोना-चांदी और अन्य रत्न बरामद किए। विदेशी व्यापारी यहां 4 जून को शारजाह से आया था। वह 8 जून को वापस शारजाह लौट रहा था। जब वह एयरपोर्ट की पार्किंग पर कार खड़ी

कर रहा था, तभी कार्रवाई की गई।

डॉयरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) ने पहली बार हीरे-रूबी और अन्य कीमती रत्नों की तस्करी का मामला पकड़ा है।

यात्री के पास से 40 प्राकृतिक हीरे, 669 रूबी (माणिक), एक पन्ना और एक सफायर (नीलम) बरामद किए गए। यात्री बिना घोषित किए व ड्यूटी चुकाए रत्नों को विदेश से ला रहा था।

हीरे व रत्नों पर कीमत के पांच प्रतिशत ड्यूटी लागू होती है। शुक्रवार रात डीआरआई की टीम महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले रास्तों पर तैनात की गई। शक और सूचना के आधार पर कार को रुकवाकर उसकी जांच की गई।

कार में फ्लोर के नीचे छुपाकर बने खोखले हिस्से में से 2.253 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए। सोने की कीमत 1.63 करोड़ आंकी गई है।

जनसुरक्षा के लिए पुलिस ने लगाए सावधानी के बोर्ड

इंदौर। खुड़ैल पुलिस ने यहां के पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर सावधानी संकेतक लगाए हैं। इसमें उल्लेख किया कि पर्यटक स्थल पर सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में न डालें। पूर्व में यहां कई लोग जान गंवा चुके हैं, इसलिए खतरनाक स्थानों पर न जाएं। शराब पीकर नीचे नहीं उतरें। झरने के नीचे जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जंगली जानवरों की आमद होने से जंगल में जाने से बचें।

जीतू पटवारी के भाई नाना पर शुरू की गई जिलाबदर कार्रवाई की प्रक्रिया

टीआई ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट में लगाया आवेदन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पर जिलाबदर की कार्रवाई करने का प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव तिलक नगर टीआई अजय नायर ने पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता की कोर्ट में लगाया है। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने इस संबंध में नाना को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद आरोपी नाना के वकीलों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि बिजलपुर निवासी नाना पटवारी पर हत्या के प्रयास के दो तथा 8 केस बलवे के हैं। वर्ष-2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान उसके खिलाफ राजेन्द्रनगर थाने में बलवे का केस दर्ज हुआ था।

ऑटो चालक और पुलिस ने बालिका को घर पहुंचाया

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

खेलते-खेलते घर से दूर निकल गई छोटी बच्ची को ऑटो चालक और ट्रैफिक पुलिस ने चंद घंटे में ढूंढ़कर परिजन के हवाले कर दिया। शनिवार शाम 5 बजे ट्रैफिक के उपनिरीक्षक देवकरण मालवीय, महिला आरक्षक घनी सोनिगर, काजल पटेल, एलआईजी चौराहे पर तैनात थे। इस दौरान ऑटो चालक ने बताया कि यह बच्ची एमआर-9 के आगे रोती हुई मिली तो इसे बैठाकर आपके पास लाया हूं। इस पर महिला आरक्षक बच्ची को लेकर एमआईजी थाने पहुंची। एक घंटे बाद बच्ची की मां ढूंढ़ते हुए चौराहे पर पहुंची, जिस पर यातायात कर्मियों ने एमआईजी थाने ले जाकर बच्ची को मां के सुपुर्द किया। बालिका को सकुशल पाकर उसके परिजन ने ऑटो चालक और सभी पुलिस कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। विदित हो, विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए छोटे बच्चों के प्रकरणों में पुलिस काफी संवेदनशील है।

खेलते-खेलते चली गई थी काफी दूर

ICICI Home Finance | कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, 116, शेखर सेन्ट्रल, मनोरमागंज, इंदौर-452001

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) 2002 नियमों के नियम 8(8) आर/डब्ल्यू नियम 9 (1) के साथ पठित,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लिखित गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए कई नीलामी आयोजित कीं, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामी विफल रहीं। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को रुपये 17,50,000/- की राशि में खरीदने की पेशकश के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, यहां दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार निजी संधि के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। ;

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	रणजीत आहूजा (उधारकर्ता) सीरत आहूजा, दिव्या आहूजा, संदीप आहूजा, गोबिंद राम, राजेश आहूजा (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता सं. LHZMG00001326645 & LHZMG00001343366	इंदौर के राजमहल कॉलोनी में प्लॉट क्रमांक 51 पर स्थित "शिखा अपार्टमेंट" नामक बिल्डिंग में प्रथम तल पर फ्लैट क्रमांक 101	रू. 22,51,150/- जून 07, 2024	रू. 17,50,000/- / रू. 1,75,000/-	जून 18, 2024 11:00 AM 03:00 PM	जून 28, 2024 02:00 PM 03:00 PM

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोबटेक की वेबसाइट (यूआरएल लिंक- / https://BestAuctionDeal.com) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, 116, शेखर सेन्ट्रल, मनोरमागंज, इंदौर-452001 में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) 27 जून 2024 को शाम 04:00 बजे से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, 116, शेखर सेन्ट्रल, मनोरमागंज, इंदौर-452001 में पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की एक हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। 27 जून 2024 को शाम 05:00 बजे से पहले। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में इंदौर में देय होना चाहिए।
आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की बोली जमा करें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा उपरोक्त इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति उक्त इच्छुक खरीदार को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(8) आर/डब्ल्यू नियम 9 के अनुसार बेची जाएगी। 1)। बिक्री या बोली जमा करने के निरीक्षण, नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 022-69974300 पर या हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्सएक्सएन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।
प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/पर जाएं।
दिनांक : जून 09, 2024
स्थान : इंदौर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड